राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ओमप्रकाश बनाम प्रेम देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/02/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
19/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/11/2024 पारित करते हुये तहसीलदार जालसू को को राजस्थान टीनेंसी (बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यु) के नियम 18 से 21 की पालना गम्भीरता से करते हुये वाके ग्राम बिहारीपुरा पटवार हल्का सिरसली, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र जालसू,तहसील जालसू जिला जयपुर की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 175 के खसरा नम्बर 569 रकबा 1.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.2200 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.4600 हैक्टेयर में निहित समस्त खातेदारान को नोटिस जारी कर जमाबन्दी में अंकित हिस्सेनुसार व कब्जे-काश्त को ध्यान में रखते हुये मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03/07/2025 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03/07/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य किया गया विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स(विभाजन के नियम 18 से 21) के अनुरूप किया जाना प्रकार नही होता है | जबकी विचारण न्यायालय के राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**ओमप्रकाश बनाम प्रेम देवी** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लिये यह आवश्यक था कि वे विभाजन करते हुये अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर सहखातेदारान का विभाजन करते किन्तु ऐसा नही कर मुताबिक कुर्रेजात ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटी किया जाना जाहिर होता है|

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03/07/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का विधिअनुसार अवसर प्रदान करते हुये प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे| तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है|

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो|

निर्णय आज दिनांक 19/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया|

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर